प्रेस नोट
दिनांक 07.05.2026, थाना- कोतवाली नगर
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा पूजा-पाठ एवं तंत्र-मंत्र के नाम पर कूटरचना कर लोगों से धोखाधड़ी करने वाले 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, अभियुक्तों के कब्जे से रुपये 1,99,500/-नगद, भारी मात्रा में पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, कूटरचित निर्वाचन पहचान पत्र, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स व चार्जर तथा फर्जी नम्बर प्लेट लगी आई-10 कार बरामद ।

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा पंजीकृत 01. मु0अ0सं0 369/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, 02. मु0अ0सं0 393/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, 03. मु0अ0सं0 177/26 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस थाना मनकापुर, 04. मु0अ0सं0 160/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच से सम्बन्धित 05 आरोपी अभियुक्त- 01. नमशेर पुत्र पीरू, 02. हसरत अली पुत्र बसारत अली, 03. इमरान पुत्र लईक अहमद, 04. इन्साद पुत्र नसीरा, 05. तोहिद पुत्र नौशाद को लखनऊ गोण्डा रोड़ एचसीपीएम कालेज के पास से गिरफ्तार कर अभियुक्तों के कब्जे से रुपये 1,99,500/- नगद, भारी मात्रा में पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, 05 अदद कूटरचित निर्वाचन पहचान पत्र, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स व चार्जर तथा कूटरचित रजिस्ट्रेशन नम्बर लगी आई-10 कार बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी संजय कुमार रस्तोगी पुत्र दर्शनलाल ददुवा बाजार(सोनार गली), थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा दिनांक 27.04.2026 को थाना कोतवाली नगर में लिखित तहरीर दी गई कि दैनिक समाचार पत्र के साथ आये एक पर्चा पढकर अपने समस्याओं के समाधान के लिए उक्त नम्बर पर सम्पर्क किया, जिसपर सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा अपने कार्यालय पर बुलाया गया। वहां मौजूद दो व्यक्तियों द्वारा पूजा-पाठ एवं विशेष अनुष्ठान कराने की बात कहकर उससे विभिन्न प्रकार की सामग्री मंगवाई गई । 42 दिन तक पूजा पाठ उनके उसी कार्यालय पर किया गया तथा विपक्षीयों द्वारा 27 मार्च से 30 मार्च 2026 तक प्रार्थी के घर पर पूजा-पाठ किया गया तथा पूजा के नाम पर प्रार्थी के घर व दुकान का लगभग 750 ग्राम सोने के जेवरात, 750 ग्राम चांदी एवं अन्य धातुएं लेकर एक स्टील के डिब्बे में रखकर पूजा स्थल पर रख दी गई। पूजा के दौरान कथित रूप से कलश में काला सांप दिखाकर प्रार्थी एवं उसके परिवार को भयभीत किया गया तथा देवता के नाराज होने की बात कहकर सभी को कमरे में भेज दिया। इसके उपरान्त विशेष पूजा के नाम पर प्रार्थी से 02 लाख रुपये की मांग की गई। प्रार्थी द्वारा रुपये देने के बाद अन्य पूजा प्रयाग में करने की बात कहकर सभी चले गये तथा साथ ही पूजा स्थल के आस पास न जाने की हीदायत दी गयी। काफी दिनों तक वापस न आने एवं फोन रिसीव न करने पर प्रार्थी को संदेह हुआ। जब परिवार सहित कमरे का ताला खोल कर पूजा स्थल देखने पर वहां रखे सभी जेवरात एवं अन्य सामान गायब मिले। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतलवी नगर में मु0अ0सं0- 369/2026 धारा 318(4) बी0एन0एस0 बनाम शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान संचालक पण्डित रामस्वरूप शर्मा व 04 अन्य सदस्यों के नाम पता अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 07.05.2026 को थाना को0 नगर पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान घटना में संलिप्त 05 आरोपी अभियुक्तों- 01. नमशेर पुत्र पीरू, 02. हसरत अली पुत्र बसारत अली, 03. इमरान पुत्र लईक अहमद, 04. इन्साद पुत्र नसीरा, 05. तोहिद पुत्र नौशाद को लखनऊ गोण्डा रोड़ एचसीपीएम कालेज के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से रुपये 1,99,500/-नगद, भारी मात्रा में पीली एवं सफेद धातु के आभूषण, 05 अदद कूटरचित निर्वाचन पहचान पत्र, विभिन्न कंपनियों के मोबाइल फोन, मोबाइल पार्ट्स व चार्जर तथा कूटरचित रजिस्ट्रेशन नम्बर लगी आई-10 कार बरामद किया

गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

पूछताछ का विवरण

पूछताछ के दौरान अभियुक्तो द्वारा बताया गया इन लोगो का एक संगठित गिरोह है जो आर्थिक लाभ कमाने के लिए पूजापाठ व विशेष अनुष्ठान के नाम पर धोखाधड़ी करते है। पहले विभिन्न जनपदों एवं स्थानों पर घूम-घूमकर कुछ दिन रुकते थे तथा पम्पलेट बांटकर तंत्र-मंत्र एवं पूजा-पाठ द्वारा समस्याओं के समाधान का प्रचार-प्रसार करते थे। पम्पलेट में अंकित मोबाइल नम्बर पर सम्पर्क करने वाले लोगों को विश्वास में लेकर उनके घर जाते थे तथा परिवार की समस्याओं के समाधान हेतु विशेष पूजा-पाठ व अनुष्ठान कराने की बात कहते थे। अभियुक्तगण पूजा के दौरान घर में मौजूद सोने-चांदी के जेवरात एवं रुपये-पैसे को एक घड़े/कलश में रखवाते थे। इसी दौरान मुख्य पुजारी बने अभियुक्त शफीक पुत्र अनवार अहमद अपने पास पहले से छुपाकर रखा गया सांप निकालकर दिखाता था, जिससे परिवार के लोग भयभीत होकर पूजा स्थल से हट जाते थे। मौके का फायदा उठाकर अभियुक्तगण बड़ी सफाई से घड़े में रखे जेवरात एवं नकदी निकाल लेते थे तथा परिवार को यह कहकर विश्वास में लेते थे कि घड़े को 21 दिनों तक नहीं खोलना है और बाद में आकर पूजा सम्पन्न कराई जाएगी। इसके बाद सभी आरोपी जेवरात एवं नकदी लेकर फरार हो जाते थे। पूछताछ में अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि फरवरी एवं मार्च माह में जनपद गोण्डा में शिव शक्ति ज्योतिष एवं आध्यात्मिक अनुसंधान के नाम से पर्चे बांटे गये थे। इसी दौरान ददुवा बाजार सोनार गली, जानकीनगर कालोनी कुंवर टाकीज के पीछे, आजादनगर कालोनी मनकापुर जनपद गोण्डा तथा जनपद बहराइच के दरगाह शरीफ क्षेत्र गुलाम अलीपुर में कई व्यक्तियों को तंत्र-मंत्र एवं भय दिखाकर पूजा-पाठ के नाम पर ठगी का शिकार बनाया गया तथा उनके जेवरात एवं रुपये-पैसे हड़प लिये गये थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. नमशेर पुत्र पीरू निवासी धमेडा अड्डा नई बस्ती काली नदी के पास थाना को0नगर जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 35 वर्ष ।
02. हसरत अली पुत्र बसारत अली निवासी रसीद नगर गली नं0 08 लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 42 वर्ष
03. इमरान पुत्र लईक अहमद निवासी रसीदनगर गली नं0 08 लिसाडी गेट थाना लिसाडी गेट जनपद मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष
04. इन्साद पुत्र नसीरा निवासी रसीदनगर गली नं0 08 लिसाडी गेट थाना ब्रम्हपुरी जनपद मेरठ उम्र करीब 40 वर्ष
05. तोहिद पुत्र नौशाद निवासी रसीदनगर गली नं0 08 लिसाडी गेट थाना ब्रम्हपुरी जनपद मेरठ उम्र करीब 20 वर्ष

बरामदगी-

01. 01 अदद मांग टीका पीली धातु,
02. 01 जोडी झुमकी पीली धातु,
03. 01 अदद अंगूठी पीली धातु,
04. 16 जोडी बिछुवा सफेद धातु,
05. 01 जोडी पाजेब सफेद धातु,
06. 05 जोडी पायल सफेद धातु,
07. 01 जोडी ल़डी वाली बिछुवा सफेद धातु,
08. 01 अदद नग अंगूठी सफेद धातु,
09. 05 अदद कूटरचित निर्वाचन पहचान कार्ड,
10. विभिन्न कम्पनियों के 25 अदद कीपैड मोबाईल फोन,
11. 08 अदद स्पेयर मोबाईल बैटरी,
12. 13 अदद मोबाईल चार्जर,
13. 01 अदद हुंडई आई10 कार (कूटरचित रजिस्ट्रेशन नं0- UK07FM1761)
04. रूपये - 1,99,500/- धनराशी बरामद

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0 369/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 393/2026 धारा 318(4) बीएनएस थाना कोतवाली नगर, जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0 177/26 धारा 319(2), 318(4) बीएनएस थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
04. मु0अ0सं0 160/26 धारा 318(4) बीएनएस थाना दरगाह शरीफ जनपद बहराइच।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 अजय कुमार सिंह
02. उ0नि0 सुनील कुमार
03. उ0नि0 अंकित सिंह
04. उ0नि0 रोहित रणवीर
05. हे0का0 महेश कुमार
06. हे0का0 ध्रुव कुमार
07. का0 संदीप चौहान
08. रि0का0 आदित्य सिंह
09. का0 विजय कुमार

मीडिया सेल, गोण्डा।